

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एकमे फिनट्रेड (इंडिया), लिमिटेड मुख्य कार्यालय – एकमे बिजनेस सेन्टर (ABC), 4-5, सबसिटी सेन्टर, सविना सर्कल, कृषि उपज मण्डी के सामने, उदयपुर (राज.) – 313001 तथा शाखा कार्यालय :- उदयपुर (राज.) – 313001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता

–प्रार्थी कम्पनी

बनाम

1. श्रीमति कंकु देवी कुमावत पत्नी श्री छगनलाल कुमावत 271, वार्ड नं0 11 खानों का रास्ता, गांव जावद तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) –ऋणी
2. श्री छगनलाल कुमावत पिता श्री भोलाराम कुमावत 271, वार्ड नं0 11 खानों का रास्ता, गांव जावद तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) –सहऋणी
3. श्री राधा वल्लभ कुमावत पिता श्री बाल किशन कुमावत गां0 वीरभान जी का खेडा तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) –जमानती

– विपक्षीगण

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 21/2021

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 29.07.2021</p> <p>वक्तु0 पक्ष0 उप0। अप्रार्थी संख्या 03 अनु0। प्रार्थी. एकमे फिनट्रेड (इंडिया), लिमिटेड उदयपुर ने दिनांक: 18.06.2021 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार खाता संख्या MLR-1400149 के द्वारा 15,00,000 / –रुपए का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के पुर्नभुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पति श्रीमति कंकु देवी कुमावत पत्नी श्री छगन लाल कुमावत के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति लीज पट्टा नं0 13, मिसल नं0 87/2012-13, वार्ड नं0 11 जिसका क्षेत्रफल 420.25 वर्गफीट है जो राजस्व गांव मेहता मगरी गांव धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द मे स्थित है, को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 24.10.2016 ऋण के भुगतान मे व्यक्तिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन0पी0ए0 घोषित कर दिया है। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या MLR-1400149 मे बकाया रूपये 40,61,983 / – (रूपये अक्षरे चालीस लाख इकसठ हजार नौ सौ तैरासी मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 21.07.2020 तक शेष व देय</p>	



निकलते हैं की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 22.07.2020 को एक नोटिस अप्रार्थीगण को प्रेषित किये जो की अप्रार्थीगण को तामिल हो गये परन्तु 13(2) के नोटिस की प्राप्ति व जानकारी के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान प्रार्थी कम्पनी को नहीं किया गया है। उक्त धारा 13(2) का नोटिस प्रोप्रर तामिल हो गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्नभुगतान के लिए जो संपत्ति बंधक रखी है। उसका प्रार्थी कम्पनी में रहन दस्तावेजों के अनुसार विवरण इस प्रकार है:-

श्रीमति कंकु देवी कुमावत पत्नी श्री छगन लाल कुमावत के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति लीज पट्टा नं० 13, मिसल नं० 87/2012-13, वार्ड नं० 11 जिसका क्षेत्रफल 420.25 वर्गफीट है जो राजस्व गांव मेहता मगरी गांव धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द मे स्थित है, पूर्व में:-सरकारी भूमि, उत्तर में:-हुक्मीचंद की जमीन, दक्षिण में:-रोड, पश्चिम में:- सरकारी भूमि उक्त सम्पत्ति का पट्टा विलेख दिनांकित 12.08.2013 को उप पंजीयक राजसमन्द द्वारा जारी किया गया है।

मा० राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 04.10.2016 सिविल रिट पिटिशन नं० 6256/2016 कि धारा 14 के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकपक्षीय सुनवाई कर जारी किया जा सकता हैं विपक्षी को उक्त मामले में सुनवाई हेतु नोटिस जारी करने की कानूनन कोई आवश्यकता नहीं हैं।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 22.07.2020 को जारी किया गया था। उक्त नोटिस विपक्षी को उनके पते पर तामिल होने संबंधी रजिस्टर्ड ए०डी० की रसीद की प्रति प्रस्तुत की गयी।


आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एक्मे फिनट्रेड (इंडिया), लिमिटेड उदयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण :- श्रीमति कंकु देवी कुमावत पत्नी श्री छगन लाल कुमावत के नाम भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति लीज पट्टा नं० 13, मिसल नं० 87/2012-13, वार्ड नं० 11 जिसका क्षेत्रफल 420.25 वर्गफीट है जो राजस्व गांव मेहता मगरी गांव धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द मे स्थित है, पूर्व में:-सरकारी भूमि, उत्तर में:-हुक्मीचंद की जमीन, दक्षिण में:-रोड, पश्चिम में:- सरकारी भूमि उक्त सम्पत्ति का पट्टा विलेख दिनांकित 12.08.2013 को उप पंजीयक राजसमन्द द्वारा जारी किया गया है।



उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी एक्मे फिनट्रेड (इंडिया), लिमिटेड उदयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एक्मे फिनट्रेड (इंडिया), लिमिटेड उदयपुर को नियमानुसार पुलिस जाबता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाबता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ़्तर हो।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

